कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर)

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in
Website : http://home.rajasthan.gov.in

दिनांक :– 08 SEP 2020

प्रेस नोट

निर्धारित शर्तो एवं नियमो की पालना नही करते पाये जाने पर 05 निजी सुरक्षा एजेन्सियों के लाइसेन्स निलम्बित

राजस्थान राज्य में निजी सुरक्षा एवं प्रशिक्षण की सेवाएँ उपलब्ध करा रही प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियों के वर्ष 2020–21 के वार्षिक निरीक्षण के दौरान प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2006 में निर्धारित प्रावधानों एवं नियमो की पालना नही करने वाली प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए नियंत्रक प्राधिकारी, राजीव दासोत, महानिदेशक, गृह रक्षा, ने दिनांक 03.09.2020 को निम्नलिखित पांच प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सियों के लाइसेन्स निलम्बित (Suspend) करने के आदेश जारी किये है :–

क्र.स.	लाइसेन्स संख्या	निलम्बित प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी का नाम
1	216	मै. ब्रैवहार्ट सिक्यूरिट सर्विसेज
2	753	मै. एक्स सर्विसमैन वैलफेयर सोसायटी
3	806	मै. Kore Security Services
4	722	मै. निशा सपोर्टस सर्विसेज
5	153	मै. गजेन्द्र एन्टरप्राइजेज

उपरोक्त एजेन्सियाँ निलम्बन काल में निजी सुरक्षा सेवाऐं उपलब्ध नही करा सकेंगी और इनसे किसी के द्वारा भी सुरक्षा सेवाए लेना गैर कानूनी होगा।

दासोत ने बताया कि सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005, राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2006 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सीज (रोकड़ परिवहन कार्यकलाप हेतु निजी सुरक्षा) नियम, 2019 की पूर्ण पालना नही करने के प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए यह सुरक्षा से जुड़ा विषय होने के कारण केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम एवं नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली निजी सुरक्षा एजेन्सियों के विरूद्ध नियमानुसार कडी कार्यवाही की गई तथा भविष्य में भी नियमो का उल्लंघन करने वाली ऐजेन्सियो के विरूद्व कठोर कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

Scanned with CamScanner